माननीय प्रधान मन्त्री,

भारत सरकार,

नॉर्थ ब्लॉक, रायसीना हिल,

नई दिल्ली 110 001

26 फरवरी 2018

विषय : दिसम्बर 1984 के भोपाल गैस काण्ड से जुड़े अपराधों की आपराधिक ज़िम्मेदारी से यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन को भागने से रोकने के निर्णायक कदम उठाने के संबंध में अपील |

महोदय,

1984 के भोपाल गैस हादसे के पीड़ितों के तरफ से हम आपसे अपील करते हैं की यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, मामले में न्याय होने तक भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को उपलब्ध रहे यह सुनिश्चित करने के लिए आप अविलम्ब कदम उठाएँ | जैसा की आपको ज्ञात होगा संयुक्त राज्य अमरीका की कम्पनी यूनियन कार्बाइड पर भोपाल शहर के हज़ारों निवासियों के कत्ल और पाँच लाख से ज़्यादा लोगों को बीमार करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304, 326, 324, 429, सहपाठित धारा 35 के अंतर्गत अपराधिक आरोप लगाए गए हैं | 1992 में इस अमरीकी कम्पनी को भोपाल ज़िला अदालत द्वारा फरार घोषित किया गया था और यह आज तक अभियोजन से बचती चली आ रही है | इस पत्र के द्वारा हम फरार कम्पनी के जल्द ही तीन टुकड़े होने और इस तरह भोपाल गैस हादसे के अपराधिक जिम्मेदारियों से भाग निकलने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराना चाहते हैं |

महोदय, हम यह रेखांकित करना चाहेंगे की यह खतरा पैदा हो गया है की अमरीका की यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन भारतीय अभियोजकों को उपलब्ध ही न हो |

यूनियन कार्बाइड का 100 % मालिक डाव केमिकल, जो नवम्बर 2014 से अपने अधीन कम्पनी (यूनियन कार्बाइड) के अदालत में हाजिर न होने के संबंध में सफाई पेश करने हेतु भोपाल ज़िला अदालत की 5 निर्देशों की अवहेलना कर चुका है, ने पिछले साल अमरीका की डूपोण्ट नेमोर्स कम्पनी के साथ विलय कर डाव डूपोण्ट ईकोर्पोरेटेड कम्पनी बनाई है | यह कम्पनी अब जून 1, 2019 तक विलयित कम्पनी को तीन हिस्से में बाँटना चाहती है | अमरीका में दायर की गई जानकारी के मुताबिक इस विखण्डन से यूनियन कार्बाइड भी अलग अलग कम्पनियों में बंट जाएगी |

".... यह उम्मीद की जाती है कि विलय की इस प्रक्रिया में जैसा कि हम चाहते हैं, यूनियन कार्बाइड के व्यापार का एक हिस्सा स्पेशलटी प्रोडक्ट्स को चला जाएगा ....."

डाव डूपोण्ट के प्रबन्धकों ने इस माह यह घोषित किया है कि 2019 के वसन्त तक इस विखण्डन का पहला नतीजा मेटेरियल साइन्स कम्पनी बना लिया जाएगा | चूँकि यूनियन कार्बाइड के व्यापार का एक हिस्सा इस नई कम्पनी में शामिल होगा इसलिए मार्च 2019 में यूनियन कार्बाइड बुनियादी तौर पर बदल जाएगी |

महोदय, यह एक बुनियादी कानूनी सिद्धान्त है कि अपराधिक ज़िम्मेदारी एक से किसी दूसरे पर नही डाली जा सकती है, उसके उत्तराधिकारी पर भी नही | अत: जब यूनियन कार्बाइड अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद ही नही होगी तब भारतीय अदालतों को यूनियन कार्बाइड के खिलाफ लंबित गम्भीर आरोपों पर कार्रवाई करने का कोई अधिकार नही होगा |

महोदय, जैसा कि आप ज़रूर जानते होंगे, हादसे पर जाँच के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) ने दिसम्बर 1987 में यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, संयुक्त राज्य अमरीका, उसके एशियाई शाखा यूनियन कार्बाइड ईस्टर्न , हाँग काँग और भारतीय शाखा यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड तथा वारेन एण्डरसन सहित 9 अधिकारियों पर गम्भीर आपराधिक आरोप लगाए | अदालत में उनके हाजिर होने सम्बन्धी कई न्यायपूर्ण सम्मनों की अवहेलना के बाद 1992 में सभी विदेशी अभियुक्त - यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, यू एस ए, यूनियन कार्बाइड ईस्टर्न और कम्पनी के अध्यक्ष वारेन एण्डरसन फरार घोषित किए गए |

यूनियन कार्बाइड ईस्टर्न , हाँग काँग के मामले में तब तक बहुत देर हो चुकी थी, कम्पनी 1991 में ही बन्द हो चुकी थी | हालाँकि कम्पनी के परिवर्तित स्वरूप यूनियन कार्बाइड एशिया पैसीफिक, सिंगापूर के व्यापारीय सम्बंध और उसके संचालक सभी पहले जैसा ही था, सी बी आई कम्पनी को अभियोजन के घेरे में लाने में विफल रही और इस सम्बंध में लाचारी जताने के अलावा कुछ नही किया |

महोदय, 1989 में यूनियन कार्बाइड के साथ दीवानी मामले में हुए समझौते पर 1991 में पुनर्विचार के वक्त सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने यह मत ज़ाहिर की थी कि

" यह महत्व का विषय है कि इतने गम्भीर और बड़े हादसे के सिलसिले में दायर आरोपों की पूरी जाँच हो | भारत शासन का यूनियन कार्बाइड के प्रति ढुलमुल नीति की वजह से कोई अन्याय नही होना चाहिए |"

महोदय, हमारे देश की कानून की मर्यादा बनाए रखने की आपकी संवैधानिक ज़िम्मेदारी के सम्बंध में हमें आपको याद कराने की ज़रूरत नही होनी चाहिए | पूर्व में जो भी इस सम्बंध में असफल रहे हैं आपने ठीक ही उनकी कड़ी आलोचना की है | हज़ारों मौतों और बर्बाद हुई ज़िंदगियों के लिए यूनियन कार्बाइड ईस्टर्न और वारेन एण्डरसन के खिलाफ कोई मुक़द्दमा चल न पाया | कमजोर और

कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हुक्मरानों की वजह से वे दोनों कानून के गिरफ्त से बाहर होने में सफल हो गए |

महोदय, जिन 26 सालों से यूनियन कार्बाइड भारतीय अदालतों से फरार रही है उनमें से 10 एन डी ए के शासनकाल के हैं | यदि, वारेन एण्डरसन की तरह, यूनियन कार्बाइड कम्पनी को भारतीय न्याय व्यवस्था से भागने का मौका दिया जाता है तो इसकी पूरी ज़िम्मेदारी एन डी ए सरकार की होगी |

महोदय, कई दशक पहले के "पुराने भारत" में वारेन एण्डरसन को गैरकानूनी तरीके से चले जाने दिया गया था, क्या राष्ट्रीय जिम्मेदारियों की अवहेलना के लिए "नए भारत" पर इसी तरह की बदनामी का धब्बा लगेगा ? जिन आपराधिक आरोपों से वारेन एण्डरसन भाग निकलने में सफल हुआ क्या "नया भारत" हाथ पर हाथ धरे यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन को उन्ही आरोपों से भाग निकलने का मौका देगा ?

यदि इन प्रश्नों का जवाब आप नहीं में देते है तो महोदय हम यह विनम्रतापूर्वक सुझाना चाहेंगे कि सरकार निम्नलिखित तीन विंदुओं पर अपनी रणनीति तैयार करे :

1. आपराधिक न्याय प्रक्रिया को सुरक्षित करें

- यूनियन कार्बाइड के विखण्डन और इसके सम्पत्ति के तितर बितर होने के पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अदालत से निषेधात्मक आदेश हासिल करना चाहिए | 2001 में डाव केमिकल से विलयन के बाद यूनियन कार्बाइड की सम्पत्ति का मूल्य लगभग 40 % गिरा है जबकी डाव की सम्पत्ति का मोल 150 % बढ़ा है |

2. अभियोजन की सशक्तिकरण करें

- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, संयुक्त राज्य अमरीका और दी डाव केमिकल कम्पनी, संयुक्त राज्य अमरीका के खिलाफ मामला चलाने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ का निर्माण करें और उसके लिए साधन जुटाएँ |
- भोपाल मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के अदालत में प्रकरण में तेजी लाने के लिए स्थाई तौर पर न्यायाधीश की नियुक्ति और हर हफ्ते सुनवाई की व्यवस्था करें |

3. कानून का पालन सुनिश्चित करें

- अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहयोग पर दोनों देशों के बीच 2001 में हुए संधि के बल पर भारतीय अदालतों द्वारा जारी आदेशों (चाहे वे समन या निषेधात्मक आदेश हों) का यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल द्वारा पालन सुनिश्चित करने के लिए अमरीकी संस्थाओं का सहयोग हासिल करें |

- यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल ने लगातार भारतीय अदालत में हाजिर होने के आदेशों की अवहेलना की है अतः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को निर्देशित करें कि वह इन कम्पनियों खिलाफ अदालत में एकतरफा कार्यवाही के लिए आविलम्ब दरख्वास्त पेश करे |
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को निर्देशित करें कि वह पिछले 17 सालों से भारतीय अदालतों से फरार अभियुक्त को पनाह देनेवाली और आधे दर्जन से ज़्यादा शाखाओं के मार्फत इस देश में बड़ा व्यापार फैलाने वाली डाव केमिकल कम्पनी की सम्पत्ति जब्त करने के लिए अदालत में अविलम्ब दरख्वास्त पेश करे |

महोदय, अन्त में हम इस बात पर ज़ोर डालना चाहेंगे कि आपके निर्देशों पर काम करनेवाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यदि यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, संयुक्त राज्य अमरीका को कानून के घेरे में रखने में असफल हो जाती है तो भोपाल हादसे के पीड़ित और इस देश के नागरिक इस राष्ट्रविरोधी अपराध के लिए उसे कभी माफ नही करेगी |

रशीदा बी
भोपाल गैस पीड़ित स्टेशनरी कर्मचारी संघ
9425688215

बालकृष्ण नामदेव
भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा,
9826345423

नवाब खाँ
भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा
9165347881

रचना धीगरा, सतीनाथ षडंगी
भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन, 9826167369

सरिता मालवीय
डाव-कार्बाइड के खिलाफ बच्चे

प्रतिलिपि प्रेषित

1. संचालक, केंद्रीय अण्वेषण ब्यूरो, भारत सरकार, नई दिल्ली

2. सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

3. सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

4. सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

5. मुख्य सचिव, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल